

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- कोला

प्रकरण संख्या- 68/2025

दिनांक- 26/6/25

उपखण्ड

श्री सोदान पुत्र गिरध
मीना निवाडा लवाडी कला

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न बरवाड़े, पहोरी हल्का कोला भू. अ. नि. आदलकाडी कला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आदलकाडी अई पो. ह. कोला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 83 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	नाम <u>कईअशुद्ध</u>	<u>शोदान पुत्र</u> <u>शिराज डि. 1/2</u> <u>जाति मीना</u>	<u>सोदान पुत्र</u> <u>शिराज डि. 1/2</u> <u>जाति मीना</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिरिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सोदान पुत्र गिरध मीना नि. डा. 109, ला
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)